झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची
दिनांक :- 23-7-12

अधि॰सं॰–01/स्था.स्थाना॰/पद॰–11–04/2011–3553/ दिनांक 28.06.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता(यॉत्रिक) (चालू प्रभार) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् उनके अपने ही वेतनमान् में उनके नाम के सामने स्तम्भ–04 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) (स्वतन्त्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई॰डी॰/ जन्म तिथि /गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री आनन्दी प्रसाद सिंह एम 189/20.11.52/ खगड़िया	अधीक्षण अभियंता(यॉ॰)(चा॰प्र॰) लघु सिंचाई अंचल, देवघर	मुख्य अभियंता(यॉत्रिक) (चा॰प्र॰) जल संसाधन विभाग, राँची	
2.	श्री कमलेश्वर प्रसाद एम 204/17.01.55/ पटना	अधीक्षण अभियंता(यॉ॰)(चा॰प्र॰) सिंचाई यॉत्रिक अंचल, राँची	मुख्य अभियंता(यॉत्रिक) (चा॰प्र॰)जल संसाधन विभाग, राँची (श्री आनन्दी प्रसाद सिंह के दिनांक 30.11.12 को सेवानिवृति के उपरांत प्रभावी)।	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. मुख्य अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत् मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें मुख्य अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार जो पदाधिकारी कनीय होगें उन्हें अधीक्षण अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

6. मुख्य अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23.7.12

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

D:\PRAMOD\Notification June 2012\C.E. CC. (M).docx

ज्ञापांक :– 3553 रॉंची, दिनांक :– 23-7-12

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को (सी॰डी॰सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियॉं कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

23.7.12

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 3553 रॉंची, दिनांक :– 23-7-12

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉंची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉंची/ माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉंची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि॰, रॉंची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉंची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब॰, 7यो॰, एवं 8ए॰, 8बी॰ एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगें। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर वे स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगें।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, क्रमांक–01 के पदाधिकारी के माह अगस्त 2012 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरूद्ध हीं करेंगें।

23.7.12

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

D:\PRAMOD\Notification June 2012\C.E. CC. (M).docx